कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

आदेश

कमांक / 993 / मान्यता / 2022-23 रायगढ़ दिनांक 16/02/2023 अशासकीय शिक्षण संस्थान प्रबंधक वर्ग द्वारा प्रस्तुत आवेदन/शपथ पत्र एवं निरीक्षण समिति अनुशंसा वे आधार पर निम्नांकित शिक्षण संस्थाओं को वर्ष 2023–24से24–25 इनके नाम के सम्मुख अंकित कक्षाए संचालित करने हेतु नवीनीकरण अस्थाई विभागीय अनुमति सशर्त प्रदान की जाती है। अशासकीय विद्यालय द्वारा प्रस्तुत बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के खण्ड 18 के उद्देश्य के लिए बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून के नियम 11 के उपनियम 4 के तहत प्राप्त आवेदन पत्र के सालय के पत्राचार / विद्यालय के निरीक्षण के उपरांत मान्यता दी गई है।

• मान्यता की स्वीकृति परिवर्धनीय नहीं है और किसी प्रकार से कक्षा आठवीं के बाद की मान्यता से संबंधित

नहीं है।

• बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 और एनेक्सर 1 ओर बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून एनेक्सर 2 बंधनकारी होगा।

• विद्यालिय पड़ोस के कमजोर वर्ग सुविधा विहीन बच्चों को जिस कक्षा से शुरूआत होता है दर्ज संख्या के 25 प्रतिशत तक प्रवेश देगा और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्ण तक निशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा।

• परिछेद 3 में संदंर्भित बच्चों के लिए कानून के खण्ड 12.2 के अनुसार विद्यालय को व्यय प्रतिपूर्ति की जावेगी ऐसे प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने के लिए विद्यालय पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराएगा।

• सोसायटी / विद्यालय कोई भी कैपिटिसन शुल्क नहीं लेगा और न ही बच्चे का या इसके माता पिता का या पालकों का स्कीनिंग टेस्ट करेगा।

• विद्यालय आयु प्रमाण पत्र के अभाव में साथ ही धर्म जाति या वंश जन्म स्थान या अन्य आधार पर किसी भी बच्चे को वंचित नहीं करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि :-

- प्रवेशित बच्चे को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के पूर्णता तक किसी कक्षा मे रोका नहीं जाएगा। यह विद्यालय से निकाला नही जाएगां।
- किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानिसक प्रतारणा नहीं दी जावेगी।
- प्रारंभिक शिक्षा पुर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 23 के यथा अनुसार प्रदान किया जावेगा।
- किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा की पुर्णता तक बोर्ड परीक्षा उत्तीण करने की आवश्यकता नहीं हैं।
- कानुन के प्रावधनों के अनुसार विकलांगता /विशेश आवश्यकता वाले छात्रों का समावेश करेगा।
- शिक्षक कानून के खण्ड 23.1 निर्दिष्ट योग्यताओं के सहीत नियुक्त किये जावेंगे।
- 5वर्ष के समयाविध के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यतायें प्राप्त करेंगे।
- के उप नियम 1 के तहत राज्य सरकार द्वारा यथा अनुशांशित होगी।विद्यालय कानून के खण्ड 19 में वर्णित विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक छात्रों को प्रवेश देगा।
- विघालय कानून के खण्ड 19 विशिष्टकृत विघालय के स्तरों और मानकों को बनाये रखेंगे अंतिम निरीक्षण के समय सुविधा निम्नानुसार हैं।
- विघालय परिषद का क्षेत्रफल/कुल निर्माण का क्षेत्रफल/खेल मैदान का क्षेत्रफल/अध्यापन कक्षाओं की संख्या/पेयजल सुविधा/मध्यान भोजन पकाने हेतु किचन/बांध रहित पहुंच/शिक्षण सामाग्री/खेलकुद के उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता।
- विद्यालय परिसर के भीतर या समान नाम के विद्यालय में बाहर गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐं नहीं चलाऐगा । विद्यालय भवन या अन्य निर्माण या मैदान का दिन या रात में व्यवसायिक या आवासीय उद्येश्यो विद्यालय के किसी कर्मचारी के आवासीय उद्येश्यों को छोड़कर या राजनैतिक या अन्य प्रकार के अशैक्षणिक उपयोग

Scanned with OKEN Scanner

- नहीं किया जावेगा ।विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रेंसन एक्ट 1860,19,860का 21 के तहत पंजीकृत सोसायटी द्वारा या किसी कानून बके तहत समयाविध के लिये गठित पब्लिक द्विष्ट द्वारा संचालीत ।
- आपके विद्यालय को आबटित कोड नम्बर आर. जी. एच/पी.यू/ पी.एस / 14.इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार में अंकित करें ।
- विद्यालय समय समय पर शिक्षा संचालक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चाही गई जानकारीयां और प्रतिवेदन प्रदाय करता रहेगा ।
- सोसायटी के पंजीयन का नवीनीकरण आवश्यकतानुसार करना सूनिश्चित करें ।
- विद्यालय का निरीक्षण किसी भी समय प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। नियमानुसार विद्यालय का संचालन नहीं करने पर विद्यालय की विभागीय मान्यता/अनुमित समाप्त की जा सकती है।
- संस्था द्वारा प्रदत्त कोई भी पूर्व प्राथमिक/प्राथमिक/माध्यमिक/हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी जानकारी गलत पाये जाने पर अथवा उच्च कार्यालय द्वारा किसी भी उचित कारण से संस्था की मान्यता समाप्त की जाती है। तो यह अनुमति आदेश स्वमेव समाप्त माना जावेगा।

• खेलमैदान के संबंध में आपत्ति होने पर आपके विद्यालय की मान्यता स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

क.	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	माध्यम	कक्षा संचालन हेतु विभागीय अनुमति का विवरण
1	2	3	4	. 5
1	लिटिल एंजेल पब्लिक स्कूल तडोला।	पुसौर	अंग्रे जी	नर्सरी से कक्षा 8वीं मान्यता नवीनीकरण एवं कक्ष सत्र 2023–24 से 2024–25 हेतु मान्यता प्रदान की जाती है।

- यू-डाईस नम्बर ,प्राप्त कर सूचित 7 दिवस के भीतर इस कार्यालय को अवगत करावें।
- छात्र / छात्राओं जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड बैक खाता खोल कर इस कार्यालय को सूचित करें।

• योग्यतानुसार एवं वी०एड०, डी०एड० और डी०एल० एड० प्रशिक्षकों को ही नियुक्त करें।

जिला शिक्षा अधिकारी भरायगढ़ रायगढ़ दि 16/02/2023

पृ०क्रमांक / १९५/ मान्यता / २०२२-२३ प्रतिलिपिः

- 1. संचालक लोक शिक्षण संचालनालय (छ०ग०) रायपुर को सूचनार्थ ।
- 2. कलेक्टर रायगढ़ को सूचनार्थ ।
- 3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ ।
- 4 सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को सूचनार्थ।
- 5 संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जिला रायगढ़ को सूचनार्थ।
- 6 डिपो प्रबंधक, रायगढ़ को सूचनार्थ ।
- 7. प्राचार्य / प्रधान पाठक लिटिल एंजेल पब्लिक स्कूल तडोला। । वि..ख. पुसौर को सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी

^Vरायगढ़